न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अटरू जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :— **शाइस्ता लोधी, आर0 जे0 एस0**
दीवानी वाद प्रकरण संख्याः— 31/2025
सी.आई.एस. नंबर — 19/2023
सी.एन.आर. नंबर — RJBR100000372023

1. लीलाधर आयु 53 वर्ष पत्र भंवरलाल जाति कौली निवासी कवाई तह० अटरू जिला बारां राज0
2. जगमोहन आयु 40 वर्ष भंवरलाल जाति कौली निवासी कवाई तह० अटरू जिला बारां राज०

......वादीगण

बनाम

1. अवन्तिलाल आयु 45 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल जाति कोली निवासी कवाई तहसील अटरु जिला बारां राज0
2. नरेन्द्र आयु 42 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति कौली निवासी कवाई तह० अटरू जिला बारां राज0 (एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 19.05.2025)

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन पुश्तैनी मकान एवं आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—
1.श्री मनजीत सिंह, विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2.श्री कृष्णमुरारी सेन, विद्वान अधिवक्ता—प्रतिवादीगण की ओर से।

—: निर्णय :— दिनांकः— 12.05.2026

01. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण की ओर से विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 03.05.2023 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश, अटरू जिला बारां के समक्ष एक वाद पत्र बाबत विभाजन पुश्तैनी मकान एवं आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया गया कि वाके कस्बा कवाई तहसील अटरु जिला बारां में वादीगण एंव प्रतिवादीगण का एक पुश्तैनी मकान 20 गुणा 40 वर्गफुट का कौली मौहल्ला कवाई में स्थित है। जिसकी चतुई सीमाएं निम्न प्रकार है—पूरब — मुकेश पुत्र छीतरलाल का मकान, पश्चिम श्यामलाल कौली का मकान, उत्तर जगदीश पुत्र घासीलाल कौली का मकान, दक्षिण—सुवाबाई कोली का मकान, जिनके मध्य में उपरोक्त मकान स्थित है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण सगे आई है। मकान पुश्तैनी सम्पत्ति होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण का उक्त मकान में बराबर—बराबर हिस्सा बनता है।

उक्त पुश्तैनी मकान के लगवा ही दीगणा व प्रतिवादीगण के पिता भंवरलाल पुत्र नारायण जी ने एक कच्चा मकान जिसका क्षेत्रफल पूरब से पश्चिम तक 15 फुट व उत्तर से वाक्षिण तक 12 वर्गफुट का गौपाल पुत्र मंगल जाति कौली से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। कब्जा प्राप्त करने के पश्चाव से ही पिता भंवरलाल पुत्र नारायणजी का उक्त मकान पर कब्जा व स्वामित्व रहा तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त मकान पर वादीगण व प्रतिवादीगणा की माँ सुवाबाई का अधिकार हो गया। जिनने उक्त मकान को अपनी स्वय की इच्छा व राजीखुशी से अपने बडे पुत्र वादी क्रम एक को अपने जीवनकाल में सम्भला दिया था, जिस बाबत सुवाई ने दिनांक 23–9–2017 को एक तहरीर भी निष्पादित करवाकर अंगठा निशानी व गवाही गवाहान कर वादी क्रम 1 को सुपुर्द की थी। जिसके पश्चाव वादी क्रम 1 ने एक 500 रूपये के नॉन जूडीशियल स्टाम्प पर कराररनामा पारिवारिक समझौता निष्पादित कर उक्त कच्चा मकान ओवारी अपने भाई वादी क्रम 2 व प्रतिवादी क्रम 2 को हस्तान्तरित कर दी। जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का किसी प्रकार का कोई हिस्सा व अधिकार नहीं था। दिनांक 23–9–2017 को सुवा बाई द्वारा निष्पादित करवाई गई तहहीर एव दिनांक 6–11–2022 को निपादित करवाई गई तहरीर इकरार नामा बाबत पारिवारिक समझौता वाद पत्र का एक भाग है। अपनी माता सुवाबाई की मृत्यु के पश्चाद प्रतिवादी क्रम 1 के मन में बदयान्ति आ जाने से उसने वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित पुश्तैनी मकान जिसमें सभी भाईयो वादीगण व प्रतिवादीगण का बराबर बराबर हिस्सा था उस सम्पूर्ण मकान पर कब्जा कर लिया एवं वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित कच्चे मकान (ओबारी) में भी कब्जा कर जबरन मकान निर्माण करवा रहा है। पुश्तैनी मकान का बराबर बराबर चारो भाईयो में विभाजन करवाकर प्रति. क्रम 1 को जर्ये स्थाई निवेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है वह वाद पत्र की मद न० 2 में वर्णित कच्चे कवैलू फोस मकान ओवारी है, जिसमें उसका कोई अधिकार नहीं है उसमें किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करावे। ऐसा कृत्य न स्वयं करे न अपने प्रतिनिधियो से करावे। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रतिवादी क्रम 2 वादीगण का भाई होने से एंव वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे इस वाद में फोरमल पक्षकार बनाया गया है। जिससे किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वाद कारण प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वाद पत्र के मद नं० 1 में वर्णित पुश्तैनी सम्पूर्ण मकान पर कब्जा कर लेने एंव वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित पिता व माता की स्वअर्जित सम्पत्ति मकान पर भी कब्जा कर निर्माण कार्य करवाने का प्रयास करने एव वादीगण द्वारा दिनांक

20–4–2023 को प्रतिवादी से मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा होने पर प्रथम व अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी क्रम 1 सादिर फरमाई जावे कि वाद पत्र की मदनं०1 में वर्णित पुश्तैनी मकान का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर हिस्सेनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को कब्जा सम्बलाया जावे। प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वाद विभाजन तक बाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित मकान पुश्तैनी एव वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित माता सुवाबाई द्वारा वादीगण को दी गई स्वअर्जित सम्पत्ति ओबारी कच्चा कवेलु फरोश मकान की जगह पर नव निर्माण नहीं करावे। उन्हे कहीं रहन बेचान नहीं करे ऐसा कृत्य न स्वयं करे न अपने प्रतिनिधियों से करावे अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

02. वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद पत्र की अधिकांश मदों को अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से जवाब दावा पेश कर विशेष कथनों में अंकित किया कि वादी द्वारा बताये गए भूखण्ड के अलावा प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा गिर्राज पुत्र प्रेमचन्द से क्रय किया गया जो पैतृक मकान के पास होने से सभी द्वारा उपयोग व उपभोग किया जाता रहा है जिसमे वादी के मन में बदद्यान्ति आ जाने के कारण उक्त भूखण्ड का नाप सम्पूर्ण देकर वाद पेश किया गया है, जिसमे कच्चा मकान ओबारी को अपना बताया गया है। जबकि यह प्रतिवादी क्रम 1 की स्वर्जित संपत्ति है । वादी लीलाधर प्रतिवादी का बड़ा भाई है जिसने अपनी माता सुवा बाई कोली को पुत्र प्रेम में फंसाकर दिनांक 23/09/2017 को तहरीर लिखवा ली थी जिसकी जानकारी वादी द्वारा अपने सभी भाई या परिवारवालों को नही दी गई अगर सुवा बाई उक्त ओबारी का ब्रेचान या तहरीर लिखवाती तो प्रतिवादीगण को उसकी जानकारी होती। वादी द्वारा सांठ–गाँठ से यह तहरीर लिखवाई गई है। वादी द्वारा जो पारिवारिक बंटवारा पेश किया गया है उसमे प्रतिवादी क्रम 1 को हस्ताक्षर की जानकारी नहीं है क्योंकि पिता काल से सभी कार्य वादी के द्वारा किया जाता रहा है। जिस समय की तारीख उक्त राजीनामा बंटवारानामा में दर्शाई गई है, उस समय सभी सामूहिक परिवार में निवास करते थे जिसका नाजायज फायदा पहुंचाने की गरज से कहीं हस्ताक्षर करवा लिये गए हो तो जानकारी में नहीं है। उक्त भूखण्ड जो वादी द्वारा प्रदर्शित किया गया है वह पहले से ही प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्सेदारी व कब्जे में है उस पर ही निर्माण कर रहा

था जिसे अन्य व्यक्तियो से क्रय किया गया था, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत कवाई द्वारा जारी किया गया था और यह पैतृक मकान नहीं है, उसके अलावा होने से प्रतिवादी कब्जा करना चाहता है । इसलिए यह वाद पेश किया गया है। पट्टा व इकरारनामा क्रय जवाब दावे के साथ संलग्न है। वादी एवं प्रतिवादी के जीवनकाल में वादी को एक मकान 20 गुणा 25 वर्गफुट क्रय कर दिया था तथा वादी क्रम 2 जगमोहन को एक मकान 30 गुणा 45 सालपुरा स्टेशन आवासीय कॉलोनी में निर्माण करके दिया गया था। उसी आधार पर सभी परिवार के बंटवारे अनुसार काबिज चले आ रहे थे। जिसमे गिर्राज से क्रय प्लाट पर मात्र प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा है जो पैतृक नहीं है। परन्तु वादी उक्त प्लाट को पैतृक बताकर कब्जा करना चाहता है इसलिए वादी ने झूठा वाद पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है किं वादी का वाद मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

03. प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने के कारण दिनांक 19.05.2025 को, इसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

04. कालांतर में हस्तगत वाद माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बारां के आदेश क्मांक स्था. / प.12 / अंतरण प्रकरण–3 / 2023 / 1638 दिनांक 23.07.2025 के द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश अटरू से साक्ष्य वादी की स्टेज पर अंतरित होकर प्राप्त होने पर प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया।

05. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यक कायम किये गये–

1. आया वादपत्र की मद सं–1 में वर्णित पुश्तैनी संपत्ति कोली मोहल्ला कवाई में अवस्थित पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का उक्त संपत्ति में बराबर का हिस्सा है?

...वादी

2. आया वाद पत्र की पैरा संख्या 02 में वर्णित पुश्तैनी संपत्ति के लगवा संपत्ति की वादी एवं प्रतिवादीगण की माता सुआबाई द्वारा तहरीर दिनांक 23.09.2017 वादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित के पश्चात् वादी संख्या 01 ने इकरारनामा पारिवारिक समझौता निष्पादित कर वादी कम संख्या 02 व प्रतिवादी संख्या 02 को हस्तानांतरण किया?

...वादी

3. आया प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादपत्र की मद संख्या 01 व 02 में वर्णित विवादस्पद संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया है तथा वाद पत्र की पैरा संख्या 02 में वर्णित विवादस्पद संपत्ति पर जबरन संपत्ति का निर्माण कर लिया है? ...वादी

4. आया वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित पुश्तैनी संपत्ति वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा अनुसार विभाजन कर कब्जा वादी एवं प्रतिवादीगण को संभलाया गया है?
......वादी

5. आया वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण को इस आशय से पाबंद करवाए जाने का अधिकारी है कि आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाद पत्र की मद संख्या 01 व 02 में वर्णित कमशः पुश्तैनी व स्वअर्जित संपत्ति में नवनिर्माण नहीं करावें? .....वादी

6. आया वाद न्यायालय के श्रवाणिधकार व क्षेत्राधिकार का है? .....वादी

7. आया वाद वादी उचित न्याय शुल्क पर पेश किया गया है? .....वादी

8. वाद वादी गलत तथ्यों पर पेश किए जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है?
..........प्रतिवादी

9. अनुतोष?

06. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर विरचित की गई तनकियात के संबंध में वादी को वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य पेश करने हेतु कई मौके दिए गए किंतु वादीगण को वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य पेश नहीं किए जाने के कारण साक्ष्य वादी बंद की गई। तत्पश्चात प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जाना जाहिर करने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई।

07. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित पुश्तैनी मकान में वादीगण व प्रतिवादीगण का बराबर हिस्सा है एवं वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कच्चे कवेलू पोश मकान में प्रतिवादीगण का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त मकान उनकी माता द्वारा जीवनकाल में दिनांक 23.09.2017 को इकरारनामा निष्पादित कर संभला दिया था तथा वादी संख्या 1 ने एक पारिवारिक समझौता इकरारनामा निष्पादित कर उक्त कच्चा मकान वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 को हस्तानांतरित कर दिया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हिस्सा अधिकार नहीं है परंतु प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र की मद संख्या 1 पुश्तैनी मकान व वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कच्चा मकान (ओबारी) पर कब्जा कर जबरन निर्माण कार्य करवा रहा है। अतः पुश्तैनी मकान का विभाजन किया जाकर हिस्सेनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को कब्जा संभलाने व वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित स्वअर्जित संपत्ति ओबारी (कच्चा मकान) की जगह

पर नवनिर्माण, रहन बेचान व अन्य हस्तांतरण नहीं करने बाबत प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। जबकि प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से दौराने बहस अंतिम यह तर्क दिया है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वादी द्वारा बताये गए भूखंड के अलावा प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा गिर्राज पुत्र प्रेमचंद से क्रय किया गया जो पैतृक मकान के पास होने से सभी द्वारा उपयोग व उपभोग किया जाता रहा है जिसमें वादी के मन में बदयान्ति आ जाने के कारण उक्त भूखंड का नाप संपूर्ण देकर वाद पेश किया गया है, जिसमें कच्चा मकान ओबारी को अपना बताया गया है। जबकि यह प्रतिवादी क्रम 1 की स्वअर्जित संपत्ति है। गिर्राज से क्रय प्लाट मात्र प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा है जो पैतृक नहीं है। परंतु वादी उक्त प्लाट को पैतृक बताकर कब्जा करना चाहता है। इसलिए वादी ने झूठा वाद पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः वादीगण का वाद सव्यय खारिज किया जावे।

08. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विनिश्चय हेतु जो विवाघक बिन्दु कायम किये गये हैं, उन पर तनकीवार निष्कर्ष एवं निर्णय निम्न प्रकार हैः–

<u>विवाद्यक संख्या 1 लगायत 5 :–</u>

09. हस्तगत प्रकरण में तनकी सं 1 लगायत 5 एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि एवं अभिवचनों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उक्त विवाद्यक बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। उक्त विवाद्यक संख्या 1 लगायम 5 को साबित करने का भार वादी पर है।

10. इस परिप्रेक्ष्य में वादी द्वारा वादपत्र में मुख्य रूप से यह अभिकथन किया गया है कि वाके कस्बा कवाई तहसील अटरु जिला बारां में वादीगण एंव प्रतिवादीगण का एक पुश्तैनी मकान 20 गुणा 40 वर्गफुट का कौली मौहल्ला कवाई में स्थित है। जिसकी चतुई सीमाएं निम्न प्रकार है–पूरब – मुकेश पुत्र छीतरलाल का मकान, पश्चिम श्यामलाल कौली का मकान, उत्तर जगदीश पुत्र घासीलाल कौली का मकान, दक्षिण–सुवाबाई कोली का मकान, जिनके मध्य में उपरोक्त मकान स्थित है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण सगे आई है। मकान पुश्तैनी सम्पत्ति होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण का उक्त मकान में बराबर–बराबर हिस्सा है। उक्त पुश्तैनी मकान के लगवा ही दीगणा व प्रतिवादीगण के पिता भंवरलाल पुत्र नारायण जी ने एक कच्चा मकान जिसका क्षेत्रफल पूरब से पश्चिम तक 15 फुट व उत्तर से वाक्षिण तक 12 वर्गफुट का

गौपाल पुत्र मंगल जाति कौली से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। कब्जा प्राप्त करने के पश्चाव से ही पिता भंवरलाल पुत्र नारायणजी का उक्त मकान पर कब्जा व स्वामित्व रहा तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त मकान पर वादीगण व प्रतिवादीगण की माँ सुवाबाई का अधिकार व आधिपत्य में था। उक्त मकान को माता सुवाबाई द्वारा स्वेच्छया से उनके जीवनकाल में ही वादी क्रम संख्या 1 लीलाधर को संभला दिया था, जिस बाबत सुवाबाई ने दिनांक 23–9–2017 को एक तहरीर रूबरू गवाहान अगूंठा निशानी अंकित वादी क्रम 1 को सुपुर्द की, जिसके पश्चात वादी क्रम 1 ने एक 500 रूपये के नॉन जूडीशियल स्टाम्प पर करारनामा पारिवारिक समझौता निष्पादित कर उक्त कच्चा मकान ओवारी उसके भाई वादी क्रम 2 व प्रतिवादी क्रम 2 को हस्तान्तरित कर दी। जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का किसी प्रकार का कोई हिस्सा व अधिकार नहीं था। दिनांक 23–9–2017 को सुवा बाई द्वारा निष्पादित करवाई गई तहहीर एव दिनांक 6–11–2022 को निपादित करवाई गई तहरीर इकरार नामा बाबत पारिवारिक समझौता वाद पत्र का एक भाग है। अपनी माता सुवाबाई की मृत्यु के पश्चाद प्रतिवादी क्रम 1 के मन में बदयान्ति आ जाने से उसने वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित पुश्तैनी मकान जिसमें सभी भाईयो वादीगण व प्रतिवादीगण का बराबर बराबर हिस्सा था उस सम्पूर्ण मकान पर कब्जा कर लिया एवं वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित कच्चे मकान (ओबारी) में भी कब्जा कर जबरन मकान निर्माण करवा रहा है। जबकि प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से वादी के उक्त समस्त तथ्यों के संबंध में विस्तृत अभिवचन कर जवाब दावा में खण्डन किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या–2 के विरूद्ध हस्तगत वाद में दिनांक 19.05.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है।

11. विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादीगण अथवा किसी भी पक्ष को अपने द्वारा दिये गये अभिवचनों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सबल मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करना होता है। धारा 102 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह उपबंधित किया गया है कि ''किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा, यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए'' परन्तु वादीगण की ओर से अपने अभिवचनों के समर्थन में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय का समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे वादपत्र में दर्ज अभिवचनों पर विश्वास किये जाने का कोई न्यायोचित कारण या आधार न्यायालय के समक्ष मौजूद नहीं है। अतः साक्ष्य के अभाव में वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित पुश्तैनी संपत्ति होने से वादी व प्रतिवादीगण का बराबर हिस्सा है एवं वाद पत्र

की मद संख्या 2 में वर्णित कच्चा कवेलू पोश मकान के संबंध में उनकी माता सुवाबाई द्वारा जीवनकाल में तहरीर इकारनामा दिनांक 23.09.2017 निष्पादित कर वादी संख्या 1 को सुपुर्द करने के अभिवचन साबित व प्रमाणित नहीं हुए है। जिससे वादीगण का पुश्तैनी मकान में हिस्सेवार विभाजन व वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित स्वअर्जित संपत्ति ओबारी कच्चा कवेलू पोश मकान के संबंध में रहन विक्रय व नवनिर्माण नहीं करवाने बाबत आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत नहीं होते है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार उक्त विवाद्यक संख्या 1 लगायत 5 वादीगण साक्ष्य के अभाव में अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। अतः उक्त तनकियात वादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती हैं।

<u>**विवाद्यक संख्या 6 :–**</u>

12. हस्तगत प्रकरण में तनकी सं 6 विवाद्यक बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा उपर्युक्त विवाद्यक के संबंध में वादी द्वारा अपने वादपत्र में यह अभिकथन किया है कि वादी द्वारा उक्त वाद माननीय न्यायालय क्षेत्राधिकार में पेश किया गया है। वाद कारण प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वाद पत्र के मद नं० 1 में वर्णित पुश्तैनी सम्पूर्ण मकान पर कब्जा कर लेने एंव वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित पिता व माता की स्वअर्जित सम्पत्ति मकान पर भी कब्जा कर निर्माण कार्य करवाने का प्रयास करने एव वादीगण द्वारा दिनांक 20–4–2023 को प्रतिवादी से मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा होने पर प्रथम व अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में अंतिम बार उत्पन्न हुआ। हस्तगत वाद में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पुश्तैनी मकान के विभाजन व वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित संपत्ति के संबंध में आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया है। हस्तगत वाद में न्यायालय को उक्त वाद के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश कर मात्र औपचारिक रूप से न्यायालय का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का बिंदु कानूनी होने का अभिकथन किया है। उपरोक्त विवाद्यक के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से न्यायालय के समक्ष यह दृष्टिगत आया है कि हस्तगत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पुश्तैनी मकान के हिस्सेवार विभाजन व वादी व प्रतिवादीगण की माता सुवाबाई द्वारा इकरारनामा दिनांक 23.09.2017 के निष्पादन के पश्चात उक्त इकरारनामा दिनाकिंत 23.09.2017 में वर्णित कच्चा मकान ओबारी को वादी संख्या 1 द्वारा पारिवारिक समझौता इकरारनामा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में हस्तांतारित करने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त

भाग पर कब्जा करने के कारण उसके विरूद्ध आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। अतः वादग्रस्त विषयवस्तु पुश्तैनी मकान व कच्चा कवेलू पोश मकान के संबंध में विभाजन व आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में संस्थित वाद में हाजा न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः तनकी संख्या 6 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

<u>विवाद्यक संख्या 7 :-</u>

13. विवाद्यक संख्या 7 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा पुश्तैनी मकान के विभाजन व आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद 400 रूपये कायम किए जाकर 25 रूपये न्यायशुल्क पर पेश किया जाकर उचित न्यायशुल्क पर पेश किए जाने का अभिकथन किया है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा विवादग्रस्त संपदा के वाद मुल्यांकन के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज जवाब दावा में नहीं की है। मात्र कानूनी बिंदु होने का अभिकथन किया है। अतः वादी द्वारा वाद पत्र में मांगे गए अनुतोष पुश्तैनी मकान का हिस्सेंवार विभाजन व आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 400 रूपये का वाद मूल्यांकन व 25 रूपये की कोर्ट फीस पर प्रस्तुत वाद उचित न्यायशुल्क पर पेश किया जाना प्रतीत होता है। अतः तनकी संख्या 7 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

<u>विवाद्यक संख्या 8 :-</u>

14. विवाद्यक संख्या 8 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। इस संबंध में प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में यह अभिकथन किया है कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित संपत्ति कच्चा मकान ओबारी को अपना होना बताया है। वादी एवं प्रतिवादी के जीवनकाल में वादी को एक मकान 20 गुणा 25 क्रय कर दिया था तथा वादी जगमोहन को एक मकान 30 गुणा 45 सालपुरा स्टेशन आवासीय कॉलोनी में निर्माण करके दिया गया है। उसी बटवारे के आधार पर सभी काबिज चले आ रहे है। गिरिराज से क्रय किए गए प्लाट पर मात्र प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा है। उक्त संपत्ति पैतृक नहीं है। परंतु वादी उक्त प्लाट को पैतृक बताकर कब्जा करना चाहता है। वादी ने झूठा दावा पेश किया है जो कि खारिज होने योग्य है। जबकि वादी ने वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित संपत्ति को पुश्तैनी संपत्ति होना बताया है। इस संबंध में हिस्सेवार विभाजन का दावा पेश किया है। इसी प्रकार वाद पत्र की मद संख्या 2 में कच्चा मकान भी वादी तथा प्रतिवादीगण की माता द्वारा वादी संख्या 1 को उनके जीवनकाल में सुपुर्द करना बताया है। चूंकि उक्त विवाद्यक संख्या 8 के संबंध में प्रतिवादी पर ही यह सिद्ध करने का भार है कि वह सुदृढ साक्ष्य से साबित करे कि

वादी द्वारा वादपत्र में वर्णित संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति नहीं है परंतु वादी के वाद पत्र में अभिकथित तथ्यों के खंडन में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से लेशमात्र भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा मिथ्या व गलत तथ्यों पर दावा पेश किए जाने के प्रतिवादी संख्या 1 के मौखिक अभिवचन व तर्क बिना किसी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में माने जाने योग्य नहीं है। अतः तनकी संख्या 8 प्रतिवादी साक्ष्य के अभाव में अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है जिससे तनकी संख्या 8 प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

अनुतोष–

15. चूंकि वादीगण स्वयं पर भारित मुख्य विवाद्यक संख्या 1 लगायत 6 जिन पर वादीगण का अनुतोष आधारित है। उक्त विवाद्यकों को साक्ष्याभाव में वादीगण अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

16. परिणामस्वरूप वाद 1. लीलाधर आयु 53 वर्ष पत्र भंवरलाल जाति कौली निवासी कवाई तह० अटरू जिला बारां राज0 व 2. जगमोहन आयु 40 वर्ष भंवरलाल जाति कौली निवासी कवाई तह० अटरू जिला बारां (राज0) विरूद्ध प्रतिवादीगण 1. अवन्तिलाल आयु 45 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल जाति कोली निवासी कवाई तहसील अटरु जिला बारां राज0, 2. नरेन्द्र आयु 42 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति कौली निवासी कवाई तह० अटरू जिला बारां राज0 (एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 19.05.2025) (राज.) बाबत विभाजन पुश्तैनी मकान एवं आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(शाइस्ता लोधी)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
अटरू जिला बारां (राज0)

17. निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(शाइस्ता लोधी)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
अटरू जिला बारां (राज0)